भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-145
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

कोल्हापुर में पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन)

†145. **श्री शाहू शहाजी छत्रपती:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्हापुर जिले में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत जिले के इन स्कूलों में परोसे गए भोजन की कुल मात्रा कितनी है और मेन्यू में विविधता, यदि कोई हो, संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कोल्हापुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2020 से पीएम पोषण को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य से आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उक्त योजना के लिए पोषण की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों और अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): **शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन हैं।** पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल्हापुर जिले में पीएम पोषण योजना के तहत कवर किए गए स्कूलों और लाभार्थियों की संख्या की सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	स्कूलों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2023-24	3029	3,64,315
2	2024-25	3021	3,55,216
3	2025-26	3011	3,25,364

(ख): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल्हापुर जिले में कुल 21,43,46,159 भोजन परोसे गए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेन्यू तय करने और बाजरा, सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में पीएम पोषण के कार्यान्वयन के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग किए गए कुल केंद्रीय और राज्य निधियों की सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन (राशि रू. में)			उपयोग (राशि रू. में)		
		केंद्रीय	राज्य	कुल	केंद्रीय	राज्य	कुल
1.	2020-21	35,54,51,573	30,12,10,340	65,66,61,913	32,95,00,708	21,68,76,853	54,63,77,561
2.	2021-22	11,09,64,211	7,95,52,823	19,05,17,034	13,69,15,076	16,38,86,310	30,08,01,386
3.	2022-23	24,35,01,239	18,60,27,059	42,95,28,298	24,35,01,239	18,60,27,059	42,95,28,298
4.	2023-24	33,82,68,043	28,30,54,015	62,13,22,058	33,82,68,043	28,30,54,015	62,13,22,058
5.	2024-25	29,55,16,353	30,89,23,064	60,44,39,417	28,02,72,866	26,10,94,348	54,13,67,214
6.	2025-26	39,52,50,886	36,93,15,340	76,45,66,226	39,35,80,143	36,57,07,200	75,92,87,343

*वर्ष 2020-21 की बिना खर्च हुई रकम तथा वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया था।

(घ): **भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।** ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन को चखने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, पाक कला, भोजन परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। **इसके**

अलावा, इन दिशा-निर्देशों में भोजन पोषण मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला अथवा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा प्रत्यायित प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों की जांच करने का प्रावधान है।

*****